न्यायालयः– प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

कमांक– 1045 शिवपुरी, दिनांक–27.10.2026

।। संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ।।

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी, म.प्र., माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–12 एवं 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 891, दिनांक 11.09.2026 एवं आदेश कमांक 990, दिनांक 29.09.2026 में निम्नानुसार आगामी आदेश तक आंशिक संशोधन समाविष्ट करती हूं :–

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1.	2.	3.	4.
1(ए)	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. महिला थाना**	1. आरक्षी केन्द्र महिला थाना के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र सिरसौद, गोपालपुर, फिजीकल, सुरवाया, सुभाषपुरा, देहात, सतनवाड़ा, कोतवाली, बम्हारी, महिला थाना के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरूद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304–बी, 354, 354–ए, 354–बी, 354–सी, 354–डी, 366–ए, 366–बी, 372, 373, 375, 376–ए लगायत 376–ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498–ए से उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण उनके अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उत्पन्न मामले। 3. तहसील शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के

			अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
2.	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. देहात**	1. आरक्षी केन्द्र देहात के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ. आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केंद्र देहात की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

इस कार्य विभाजन आदेश के प्रसारित होने पर पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेश उन विषयों के संबंध में जिनके संबंध में इस आदेश में नवीन व्यवस्था की गई है, उनके संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा उन विषयों के संबंध में जिनका इस आदेश में उल्लेख करना रह गया है, पूर्व में प्रसारित आदेश का अनुसरण किया जा सकेगा।

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 26/10/26 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील होगा।

संलग्न—अनुसूची कमांक—2

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म0प्र0)

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

न्यायालयः– प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

//अनुसूची कमांक 02//

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी श्रीमती रंजना चतुर्वेदी की पदस्थापना होने से, प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके अवकाश पर या अनुपस्थित रहने की दशा में दांडिक प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

क.	क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी

नोटः– उपरोक्त उल्लेखित सभी न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दांडिक कार्य संपादित करेंगे।

27/10/25

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी,(म.प्र.)

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

पृष्ठांकन क्र.– 1051 शिवपुरी, दिनांक–28.10.2026

प्रतिलिपि :–

01– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला–शिवपुरी की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

02– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03– पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04– जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

05– महिला पुलिस थाना शिवपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

06– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07– सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी, की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मैसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/10/26

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–शिवपुरी, (म.प्र.)